परिपत्र संख्या - वि0अनु0शा0/ 2022-23/ 1665 / कम्प्युटर परिपत्र संख्या / 2º23045 / राज्य कर कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ) दिनांक: ०५ सितम्बर, 2022

समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड - 1,
अपर आयुक्त ग्रेड - 2 (वि0अनु0शा0),
संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) / उपायुक्त (वि0अनु0शा0),
सहायक आयुक्त / राज्य कर अधिकारी (सचल दल / वि0अनु0शा0)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रांतीय अधिनियम की धारा - 67 के अन्तर्गत वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बंध में।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (प्रांतीय अधिनियम) की धारा - 67 के अर्न्तगत वि0अनु0शा0 इकाइयों को किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान / गोदाम की निरीक्षण, तलाशी एवं अभिग्रहण का अधिकार तथा धारा - 68 के अन्तर्गत सचल दल इकाइयों द्वारा परिवहित हो रहे माल (In Transit) की जांच का अधिकार प्रदान किया गया है। सर्वश्री महावीर पॉलीप्लास्ट प्रा0लि0 द्वारा योजित रिट याचिका संख्या - 57 / 2020 एवं कन्नेक्टेड रिट संख्या - 56 / 2020 के सम्बन्ध में पारित निर्णय दिनांक: 06-08-2022 के बिन्दु संख्या - 09 में माननीय न्यायालय द्वारा निम्न अभिमत स्थिर किया गया है -

Insofar as seizure of goods and demand of tax under Section - 129 of the Act is concerned, it is unbelievable that two (not one), authority of the Mobile Squad of Commercial Tax Department chose to act with negligence. The provision of Section - 129(3) of the Act could not be invoked to subject a godown premises to search and seizure operation unmindful of the Act that no action was taken or contemplated under Section - 67 of the Act, as that would have mandated existence of "reasons to believe", to subject that premise to search and seize goods or documents found therein. Also, both authorities of the Commercial Tax Department namely, _ _ _ Agra chose to exercise powers vested in them to search a vehicle carrying goods during transportation to proceed against goods lying in a godown.

माननीय न्यायालय द्वारा सचल दल, आगरा के अधिकारियों द्वारा अपनी अधिकारिता

क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए अपनाई गयी अविधिक एवं अविवेकपूर्ण कार्यप्रणाली के संबंध में अत्यंत गंभीर टिप्पणी की गयी है जिसके सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही प्रचलित है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त संदर्भित वाद निर्णय के प्रस्तर - 11 में दिए गये आदेश के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि धारा - 67 की शक्तियों का प्रयोग करते समय वि0अनु0शा0 इकाई के अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण के समय व्यापार स्थल / गोदाम पर लेखा पुस्तकों में घोषित माल से किसी भिन्नता की स्थिति में वि0अनु0शा0 इकाई के अधिकारियों द्वारा ही प्रांतीय अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत यथावश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही धारा - 68 की शक्तियों का प्रयोग स्थापित विधि व्यवस्था के अनुरूप during transit goods के संबंध में ही किया जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

मिनस्ती एस0)

आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश